संख्या-12/2025/830/58-2-2025-1903579

प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊ :: दिनांक 09 सितम्बर, 2025

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में भारत सरकार द्वारा मदर सैंक्शन के रूप में प्रथम किश्त की अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0-10000.00 लाख की संशोधित केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत शेयरेबल कम्पोनेन्ट हेतु केन्द्रांश रू0-2000.00 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश रू0-1333.00 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0-3333.00 लाख को अवमुक्त कराये जाने एवं नॉन शेयरेबल कम्पोनेन्ट हेतु पूर्व निर्गत सैंक्शन को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-47/बजट/2025-26, दिनांक-21.08.2025 का सन्द5र्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्ब न्धय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार के पत्र सं0-एफ.नं0-एफ.एम.-11/5/2020-डीएस(एफएमई)-पार्ट(1) दिनांक 17.04.2025 एवं पत्र सं0-एफ.नं0-एफ.एम.-11/5/2020-डीएस(एफएमई)-पार्ट(1) दिनांक 20.08.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में भारत सरकार द्वारा मदर सैंक्शन के रूप में प्रथम किश्त की अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0-10000.00 लाख की संशोधित केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष अनुदान सं0-10 लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0104-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.60/रा.40-के.$रा.) के अन्तमर्गत शेयरेबल कम्पोनेन्ट हेतु केन्द्रांश रू0-2000.00 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश रू0-1333.00 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0-3333.00 लाख को अवमुक्त किये जाने की प्रशासकीय स्वी3कृति के साथ आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यपय किये जाने की माननीय राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं रू-

(1) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.04.2025 एवं 20.08.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किये जाने का दायित्व निदेशक/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्केरण निदेशालय, लखनऊ का होगा।

(3) प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.08.2025 द्वारा केन्द्रीय सहायता के संशोधन किये जाने के फलस्वरूप भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.4.2025 के क्रम में पूर्व में

http://shasanadesh.up.gov.in

अवमुक्त धनराशि में से रू0-2000.00 लाख का माइनस सेंक्शन किये जाने का दायित्व निदेशक/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कररण निदेशालय, लखनऊ का होगा।

(4) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्ककरण/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्किरण का होगा।

(5) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह दायित्वन निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कपरण/वित्त नियंत्रक का होगा।

(6) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कशरण/वित्त नियंत्रक के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(6) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्क रण/वित्त नियंत्रक द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 एवं इस सम्बपन्ध- में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 33,33,00,000 (रुपये तैंतीस करोड़ तैंतीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 010 लेखा शीर्षक 2401001190104 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.60/रा.40-के.$ रा.) मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3 -यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-110-X-2025-26-दिनांक:8-9-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्तव सचिव।

संख्या-12/2025/830(1)/58-2-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितरू-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संकठा प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in